

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 204/2017 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

मोहनलाल वगैरा बनाम हीराराम

पीठासीन अधिकारी - श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील :- श्री बाबूलाल जाणी

विप्रार्थीगण वकील :-

**निर्णय**


**दिनांक - 11.07.17**

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत -2017 कैम्प भूणिया मे पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त जो पत्रावली शामिल किये गये। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि सरहद लोहमरोड़ों का तला, पटवार हल्का भूणिया तहसील सेड़वा के खेत खसरा सं. 338/270 रकबा 14.14 बीघा, खसरा सं. 340/270 रकबा 14.00 बीघा, खसरा सं. 341/270 रकबा 11.19 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण के खेत पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद लोहमरोड़ों का तला, पटवार हल्का भूणिया तहसील सेड़वा के खेत खसरा सं. 338/270 रकबा 14.14 बीघा, खसरा सं. 340/270 रकबा 14.00 बीघा, खसरा सं. 341/270 रकबा 11.19 बीघा की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने हेतु भू अभिलेख निरिक्षक भूणिया को 500/- रुपये फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता का यह भी निर्देश दिये जाते है कि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना ,मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे । मौका कमीश्नर को आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।

पत्रावली फौसल सुमार होकर के बाद तामिल के दाखिल दफतर हो ।

आदेश न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट भूणिया मे दिनांक 11.07.2017 को सुनाया गया ।

  
उपखण्ड (भागीरथराम)  
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) चौहटन जिला बाडमेर**

क्रमांक/भू.अ./2017/

1822

दिनांक:-

24/7/17

प्रेषित : भू- अभिलेख निरीक्षक  
भूणिया

प्रार्थीगण:-

1.मोहनलाल 2.गोरखाराम 3.नरसीराम  
पि.गेनाराम 4.गजरो पत्नि गेनाराम  
5.नारणाराम पुत्र आम्बाराम 6.आम्बाराम  
पुत्र ईशाराम जाति सुथार  
निवासी लोहमरोड़ों का तला, तहसील सेड़वा।

विप्रार्थीगण :-

1.हीराराम पुत्र चुतराराम  
विप्रार्थी सं. 2 से 30  
निवासी लोहमरोड़ों का तला, तहसील सेड़वा।  
31. तहसीलदार सेड़वा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111.128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 204/2017

दिनांक : 11-07-2017

**आदेश**

उपरोक्त प्रकरण में आपको सरहद मौजा लोहमरोड़ों का तला, पटवार हल्का भूणिया तहसील सेड़वा के खेत खसरा सं. 338/270 रकबा 14.14 बीघा, खसरा सं. 340/270 रकबा 14.00 बीघा, खसरा सं. 341/270 रकबा 11.19 बीघा सरहद भूमि की नेखम पेमाईश जरिये पत्थरगढी करने हेतु 500/- कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनो पक्षो को विधि सम्मत नोटिस के जरीये सूचित कर यदि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में आवश्य पेश करे । मौका कमीशनर को आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। कमीशनर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा।



क्रमांक/भू.अ./2017/ 1825 to 1827  
प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार सेड़वा
- 2 पटवार हल्का भूणिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकोर्ड उपस्थित होकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
- 3 प्रार्थीगण मोहनलाल वगैरा
- 4 विप्रार्थीगण हीराराम वगैरा
- 5 थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/सेड़वा/धोरीमन्ना/बाखासर

(भागीरथराम)  
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन  
दिनांक:- 24/7/17

(भागीरथराम)  
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन